कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1619 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लक्ष्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 0.018 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्तन।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 268/12–1 दिनांक 01.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 588/X-3-20/1(59)/2021 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से शासन को ऑफलाईन (हार्ड प्रति में) के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त अनुपालना रिपोर्ट परिवेश पोर्टल के माध्मय से दिनांक 05.12.2024 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, उक्त विषयक अनुपालन आख्या ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तावक विभाग द्वारा विलम्ब से प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत उक्त प्रकरण की अनुपालन आख्या यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :– 1619 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि– सहायक महानिरीक्षक वन (के0), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 268 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: ~~जुलाई~~ 2024
01-08-24

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 0.018 है0 वन भूमिका गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/120059/2021)।**

संदर्भ :– **उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–03 के पत्रांक 588/X-3-20/1 (59)/2021 दिनांक 10.06.2021।**

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 99/12–1(2) दिनांक 09.07.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक की रख–रखाव हेतु धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 1–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 15,04,030.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–01)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालयरिट पिटीशन (Civil) संख्या :202/1995 के अन्तर्गत IA नंबर 556 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 2–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है. कि प्रस्तावित कार्य में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में रू0 11,826.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। **(संलग्नक–02)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	**शर्त संख्या 3–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य में शासन स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0	**शर्त संख्या 4–चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–01 के अनुसार एवं संलग्नक–04)**

	25229 कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0बी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	**शर्त संख्या 5–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–05)
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	**शर्त संख्या 6–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–06)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	**शर्त संख्या 7–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा। (संलग्नक–07)
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	**शर्त संख्या 8–** वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन कर आख्या प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–08)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–268 / **12-1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9/c